

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी तहसील
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-453/2017

संस्थित दिनांक-25.09.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

संतोष उर्फ सुरेश पिता धुपलाल मरकाम, उम्र-25 वर्ष, जाति लोहार,
निवासी-ग्राम पोला पटपरी, थाना रूपझर,
जिला बालाघाट म.प्र.

.....अभियुक्त

--: निर्णय ::--

--:दिनांक-30.10.2017 को घोषित:-

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं धारा-3/181, 146/196 मो.व्ही.एक्ट का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-10.04.17 को समय 19-20 बजे के मध्य थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम लोरा में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी-04/सी.एन-6174 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, आहत विनोद कुमारा खरोले को साधारण उपहति कारित कर, आहत परसराम को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित कर, उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया।

2- प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक-25.09.2017 के आदेश के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181, 146/196 राजीनामा योग्य नहीं होने से अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181, 146/196 का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-21.01.17 को अजय कुमार मार्को पुलिस थाना मलाजखण्ड में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ

था। उक्त दिनांक को उन्हें अस्पताल से थाना मलाजखण्ड की तहरीर क्रमांक-07/17 दिनांक-11.04.17 जांच के लिए प्राप्त होने पर उन्होंने घटना के आहत परसराम के कथन लेखबद्ध किये थे, जिसमें उसने बताया था कि दिनांक-07.04.2017 को वह उसके ससुराल ग्राम पोलापटरी गया था। दिनांक 10.04.2017 को करीब 6-7 बजे शाम की बात है वह, उसके साला संतोष एवं उसका मित्र विनोद मोटरसाईकिल क्र-सी.जी-04/सी.एन-6174 से लोरा आ रहे थे। मोटरसाईकिल संतोष चला रहा था तथा वह और विनोद पीछे बैठे थे, तभी करीब 7-8 बजे लोरा पहुंचने पर संतोष ने मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड के पास गिरे हुए पेड़ से टकरा दी थी, जिससे वह तीनों मोटरसाईकिल सहित गिर गए थे, जिससे उसे पीठ, कमर व सिर में चोट आई थी तथा संतोष को भी चोटें आई थी। 108 एम्बुलेंस से उन लोगों को बिरसा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। दिनांक-11.04.2017 को जिला अस्पताल बालाघाट के चिकित्सक द्वारा रिफर किये जाने पर गोंदिया अस्पताल में भर्ती हुआ था। उक्त आधार पर पुलिस थाना मलाजखण्ड ने अपराध क्रमांक-52/17 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त को निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई थी तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-10.04.17 को समय 19-20 बजे के मध्य थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम लोरा में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी-04/सी.एन-6174 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंस के चलाया था ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निराकरण**

6- साक्षी परसराम अ.सा.01 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से पांच-छः वर्ष पूर्व की ग्राम लोरा मेन रोड बिरसा की है। घटना के समय वह, उसके दोस्त एवं अभियुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.04/सी.एन.-6174 से ग्राम लोरा जा रहे थे। मोटरसाइकिल अभियुक्त चला रहा था। मोटरसाइकिल से जाते समय रोड किनारे गिर गये थे। मोटरसाइकिल धीमी गति से चल रही थी। घटना में अभियुक्त की कोई गलती नहीं थी। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ लिखवायी थी जो प्र.पी.01 है।

7- साक्षी विनोद अ.सा.02 का कहना है कि घटना दिनांक 10.04.2017 की है। घटना के समय वह और उसका मित्र एवं अभियुक्त मोटरसाइकिल से ग्राम पोलापटपरी से मलाजखण्ड आ रहे थे। मोटरसाइकिल अभियुक्त चला रहा था। मोटरसाइकिल से जाते समय रोड किनारे गिर गये थे। मोटरसाइकिल धीमी गति से चल रही थी। पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिये थे।

8- परसराम अ.सा.01, विनोद अ.सा.02 ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण उक्त दोनों साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में इस विचारणीय प्रश्न की घटना का समर्थन नहीं किया है। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन क्रमांक-सी.जी-04/सी.एन-6174 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 एवं 3 का निराकरण:-

9- परसराम अ.सा.01, विनोद अ.सा.02 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त घटना के समय घटना कारित करने वाले वाहन को बिना ड्रायविंग लाईसेंस एवं बिना बीमा के चला रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय प्रश्न क्र01 की घटना प्रमाणित नहीं मानी गयी है। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना ड्रायविंग लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया था।

10— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का आरोप एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के आरोप एवं मोटर व्हीकल की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

12— अभियुक्त का मुचलका भारमुक्त किये जावे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का बीमा नहीं है इस कारण प्रकरण का विवेचक प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का नए नियमों के अनुसार व्ययन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तहसील बैहर जिला—बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तहसील बैहर जिला—बालाघाट